

आरबीआई/2023-24/24 DOR.AML.REC.111/14.01.001/2023-24 अप्रैल 28, 2023
सभी वनियमति संस्थाओं के अध्यक्ष/सीईओ

प्रधि सर/मैडम,

केवाईसी पर मास्टर डायरेक्शन (MD) में संशोधन

कृपया फरवरी 25, 2016 को दिए गए केवाईसी पर मास्टर डायरेक्शन (MD) देखें, जैसा किसिम-समय पर संशोधित किया गया है, जिसके संदर्भ में उनके कस्टमर के लिए निर्धारित प्रोसेस के अनुसार कस्टमर ड्यू डिलीजेंस (CDD) शुरू करना होगा।

2. इस संबंध में, किसी समीक्षा पर, केवाईसी पर एमडी को संशोधित करने का निर्णय लिया गया है (क) मनी लॉन्डरिंग (रिपोर्ट के रखरखाव) नियम, 2005, (ख) जनवरी 30, 2023 को दिए गए सरकारी आदेश के संदर्भ में हाल ही में किए गए संशोधनों के साथ निर्देशों को संरेखित करने के लिए, "मास डिस्ट्रिक्शन (डब्ल्यूएमडी) और उनके डिलीवरी सिस्टम (गैरकानूनी गतिविधियों का निषेध) अधिनियम, ; (c) एफएटीएफ सफारिशों के अनुसार कुछ निर्देशों को अपडेट करें; और (d) समीक्षा के बाद कुछ मौजूदा निर्देशों को परिष्कृत करें। इस संबंध में एमडी में किए गए बदलाव अनुलग्नक में प्रदान किए जाते हैं। 12 12 2005 2005.

3. तदनुसार, केवाईसी पर एमडी के संबंधित वर्गों में एनेक्सर में दिए गए परिवर्तनों को दर्शाने के लिए संशोधन किया जाता है। एमडी में संशोधित प्रावधान तुरंत प्रभाव के साथ लागू होंगे।

आपका विश्वासपूर्वक,

हेज़ल बर्टिटो

भारतीय रिज़र्व बैंक (आरबीआई) और सेंट्रल बैंक ऑफ यूएई (सीबीयूई) ने आज आबू धाबी में दो एमओयू पर हस्ताक्षर किए, ताकि (i) स्थानीय मुद्राओं के उपयोग को बढ़ावा देने के लिए एक फ्रेमवर्क स्थापित किया जा सके। क्रॉस-बॉर्डर ट्रांज़ैक्शन के लिए भारतीय रुपये (INR) और यूएई दरिहम (ईडी); और (ii) उनके भुगतान और मैसेजिंग सिस्टम को इंटरलॉक करने के लिए सहयोग। इस एमओयू पर भारतीय रिज़र्व बैंक के गवर्नर, श्री शक्तिंत दास और सेंट्रल बैंक ऑफ यूएई के गवर्नर, श्री खुला हुआ मोहम्मद बलम द्वारा हस्ताक्षर किए गए। भारत के माननीय प्रधान मंत्री श्री नरेंद्र मोदी की अगुआई में एमओयू को दो गवर्नर के बीच बदला गया और उन्होंने यूएई के अध्यक्ष मोहरी सखि ननि जईद अल नहयान की उपस्थिति में।

2. भारत और UAE के बीच ट्रांज़ैक्शन के लिए स्थानीय मुद्राओं के उपयोग के लिए एक फ्रेमवर्क स्थापित करने पर एमओयू का उद्देश्य INR और एक द्विपक्षीय रूप से उपयोग को बढ़ावा देने के लिए एक स्थानीय करेंसी सेटलमेंट सिस्टम (LCSS) स्थापित करना है। एमओयू सभी करंट खाता ट्रांज़ैक्शन और अनुमत कैपिटल खाता ट्रांज़ैक्शन को कवर करता है। एलसीएस के निर्माण से एक्सपोर्ट और इम्पोर्ट को इनवॉइस करने और अपनी संबंधित घरेलू मुद्राओं में भुगतान करने में सक्षम होगा, जो आईएनआर-ईडी फॉरेन एक्सचेंज बाजार के विकास को सक्षम बनाएगा। यह व्यवस्था दो देशों के बीच नविश और रेमिटेंस को भी बढ़ावा देगी। स्थानीय मुद्राओं का उपयोग यूएई में रहने वाले भारतीयों से रेमिटेंस सहित ट्रांज़ैक्शन की लागत और सेटलमेंट समय को अनुकूलित करेगा।

3. भुगतान और 'मैसेजिंग सिस्टम' पर एमओयू के तहत, दो केंद्रीय बैंक (a) यूएई के इंस्टेंट भुगतान प्लेटफॉर्म (pp) के साथ अपने फास्ट पेमेंट सिस्टम (FPSs) को लॉक करने के लिए सहमत हैं - भारत के यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस (यूपीआई), (b) संबंधित कार्ड स्वचालित (रुपे स्वचालित और यूएई स्वचालित) को लॉक करना; और (c) भुगतान मैसेजिंग सिस्टम यानी UAE में मैसेजिंग सिस्टम के साथ भारत के स्ट्रक्चर्ड वित्तीय मैसेजिंग सिस्टम (SFMS) को लॉक करना.

Evaluation Warning: The document was created with Spire.Doc for JAVA.